राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस..

प्रा0पत्र संख्या– 196/2020

जेराम पुत्र शंकर जाति अहीर उम्र 45 साल निवासी शिमला तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.........प्रार्थी

ब–ना–म

1. रामसिंह पुत्र बहादुर सिंह जाति अहीर निवासी शिमला तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

............अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी करवाने

निर्णय **दिनांक 28–09–2021**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम शिमला हाल खसरा नंबर 1587 रकबा 0.36 है., ख.नं. 2232 रकबा 0.30 है., ख.नं. 2233 रकबा 0.31 है. कुल किता 3 कुल रकबा 0.97 है. का प्रार्थी एकांकी काश्तकार दर्ज रिकार्ड है व अपनी भूमि पर शांतिपूर्वक रूप से निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 1587 रकबा 0.36 है. की चतुर्थ सीमाएं के उत्तर में आम रास्ता है व दक्षिण दिशा में भी आम रास्ता है एवं पूर्व दिशा में भी आम रास्ता है तथा पश्चिम से खसरा नंबर 1586 है। अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की प्रार्थी की भूमि के रास्ता के बाद में भूमि लगती हुई है और अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी भूमि को रास्ते में शामिल कर लिया है और अब वह प्रार्थी के खेतों की सीमाओं से आये दिन छेड़छाड़ करता रहता है व सीमा चिन्हों को नष्ट करने की धमकी देते है व प्रार्थी भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा रहता है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 1587 रकबा 0.36 है. का सीमाज्ञान दिनांक 28.12.2019 को पटवारी हल्का शिमला से विधिवत् रूप से करवाया। सीमाज्ञान प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 रामसिंह व अन्य लोगों के सामने सीमा चिन्ह कायम किये परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया व अन्य मौजूद व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किये। अप्रार्थी ने प्रार्थी की उक्त भूमि खसरा नंबर 1587 रकबा 0.36 है. भूमि के कायम किये सीमा चिन्हों को उखाड़ कर नष्ट करने की धमकी दी। इसलिये प्रार्थी के लिये यह आवश्यक हुआ कि वह न्यायालय से पत्थरगढ़ी के आदेश प्राप्त कर अपने उक्त खेतों की चतुर्थ सीमाओं का पुनः सीमांकन करवाकर पुख्ता पीलर पत्थरगढ़ी करवाये, इसलिये यह प्रार्थना पत्र [illegible]

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया [illegible] के ग्राम शिमला तहसील खेतड़ी स्थित प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 1587 [illegible] दिशाओं का सीमांकन करवाया जाकर पुख्ता पिलर प[illegible] के तहसीलदार, खेत[illegible] आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2021.09.30 15:07:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस जारी की गई। अप्रार्थीगण बावजूद सम्यक् सूचना के अनुपस्थित रहने पर, इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थी की ओर से साक्ष्य अभिलेख में फोटो प्रति फर्द मौका सीमांकन दिनांक 28.12.2019, नक्शा किश्तवार सन् 1937–38, जमाबंदी संवत् 2076–2079 खाता सं. 109, खाता सं. 368, खाता सं. 1, नक्शा किश्तवार सन् 1979–80 पेश किये गये।

विद्वान अधिवक्ता की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। ग्राम शिमला की जमाबंदी संवत् 2076–2079 खाता सं. 109 खसरा नंबर 1587, 2232, 2233 कुल किता 3 कुल रकबा 0.97 है. प्रार्थी की एकांकी खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं। फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 28–19–2019 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि का सीमाज्ञान भी विधिवत् रूप से करवाया है तथा प्रार्थी पुनः ख.नं. 1587 का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं जो विधिसम्मत है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर तहसीलदार, खेतड़ी को आदेश दिया जाता है कि वह उभय पक्षकारान की उपस्थिति में ग्राम शिमला स्थित भूमि खसरा नंबर 1587 रकबा 0.36 है. भूमि की पुनः नपति कर रू. 400/– की फीस पर पत्थरगढ़ी करवायें तथा पालना रिपोर्ट यथाशीघ्र भिजवायें।

निर्णय आज दिनांक 28–09–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2021.09.30 15:07:47 IST
Reason: SelfAttested